

In the court of circle officer at Deoghar

certified copy of final order sheet of M-C NO- 893/15-16
order dated-11.04.16 Applicant Name- Mahalaxmi Devi

Date of application 07.06.17 Date of filing 08.06.17 आदेश Date of ready date of delivery 09.06.17 10.06.17

11.04.16

C.P.No-121

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत बाब आवेदक/आवेदिका श्रीमती महालक्ष्मी देवी

पिता/पति सुबोध का
साकिन शिवगंगा देवी, थाना देवघर

जिला देवघर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका

मौजा भौतगढ़ी थाना सं० 582

जमाबन्दी संख्या 264 रकबा 1994 काठ

का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना दैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 2671 दिनांक 14.10.98

द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलदार हैं। विषयगत जमीन बसाड़ी मत्व की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल जमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दखल-कच्चा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा भौतगढ़ी थाना सं० 582 जमाबन्दी सं० 264 धग नं० 222

रकबा 1994 काठ का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्रीमती महालक्ष्मी देवी, पिता/पति सुबोध का

साकिन शिवगंगा देवी, थाना देवघर

जिला देवघर के नाम से स्वीकृत की जाती है। अनुशंसित लगान 20.00 रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका से 5.00 रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टांकित कराया एवं शुद्ध किया।

सच्ची प्रमाणित वांलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, देवघर
1977 के अधिनियम 1 से धारा
75 के अन्तर्गत जारी।

अंचल अधिकारी,
देवघर।

अंचल अधिकारी,
देवघर।

नकल किया

मिलान किया

10.06.17

10/6/17


नाम लिख 25/10/2017 - 1582198
दिनांक 8.6.17 द्वारा नामान्तरण
शुद्धि पत्र जारी कराया गया (कॉपी 2/26)

ATTESTED
8552/
NOTARY REGD. No. 225/04
OF JHARKHAND

certified copy of M/C/CR report of M-C No - 893/15-16

लगान का नाम : श्री कान्ही
 जमीन का किस्म : कसबेदार
 निबंधन विज्ञापन पत्र सं० : 2671
 जमीन का रकबा : 1994'6" अर्थात्

नामान्तरण के लिए कर्मचारी का प्रतिवेदन
 नामान्तरण वाद संख्या.....
 धाना नं०..... 582....., अंचल, अनुमण्डल, जिला - देवर
 जमीन प्राप्ति का विवरण
 दिनांक 14-10-98
 जमीन का मूल्य.....



| जमावन्दी नं० | रैयत का नाम | दाग नं० | रकबा | लगान | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------|---|
| 264 | श्री वैद्यनाथ पाण्डे | सब्जी प्रमाणित प्रतिवेदन | 10.6 | | 1. केवाला के सम्बन्ध में आवेदक के नाम का जिक्र करते हुए श्री कान्ही महालक्ष्मी देवी 2. खतियान के सम्बन्ध में कसबेदार 3. यदि असर्वक्षित है तो। 4. पंजी II के अनुसार श्री वैद्यनाथ पाण्डे 5. वर्तमान पंजी II में विक्रेता का सम्बन्ध। दूकवाला |
| | | नकल किया 10.06.17 | मिलान किया 10.06.17 | | |
| | | | Original Holding after mutation | 15.55 | 6. विक्रेता को जमीन विक्री का हक है या नहीं। 7. जमीन हस्तान्तरणीय है या नहीं। 8. क्या खतियानी बसौड़ी है। कसबेदार 9. किस प्रकार, हस्तान्तरणीय है। निबंधित केवाला 10. जमीन भू-हदबंदी, लीज, भू-दान से मुक्त है या नहीं। |
| 264 | श्री कान्ही महालक्ष्मी देवी W/O श्री बुधनाथ साहू-शिवगंगा लाल देवर | T.P. 222 | 1994'6" 1-00 9-00 10-00 | | 11. जमीन विवादरहित है या नहीं। 12. जमीन पर आवेदक का किस प्रकार का दखल है। मुकदमा नं० 10/17 13. कर्मचारी का स्पष्ट अनुशांसा। |

अंचल निरीक्षक का स्पष्ट अनुशांसा :-
 श्री 0.0.0 देवर
 श्री 0.0.0 देवर
 एम.एस. कर्मचारी का जॉय प्रतिवेदन
 दोषपूर्ण दावत (जि) निबंधित दलील है
 अन्वय पर उक्त जमीन आवेदक की
 नाम पर जमावन्दी किया जा सकता है, विवाद रहित है।

महाधायक - केवल श्री कान्ही महालक्ष्मी देवी
 इसके लिए जिस की हस्ताक्षर/सिग्नेचर है उसे
 निबंधित केवाला के सम्बन्ध में मुकदमा नं०
 10/17 के सम्बन्ध में दखलका है। केवल श्री
 कान्ही देवी, लीज से दान कादि से मुक्त
 है। निबंधित केवाला के
 नाम पर जमावन्दी की जा सकती है।

ATTESTED
 13/11
 DISTRICT RECORDS No-225/04
 DEVAR
 India